बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 02/04/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–349/2025–1175/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–5852/2024 (सुषमा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–22.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.10.2024 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

".... 3. In view of the limited nature of prayer, this writ application is disposed of with liberty to the petitioner to file representation before the Director, Primary Education, Department of Education, Government of Bihar, Patna (Respondent No. 3) along with all the necessary documents and details in support of her claim.

4. It is needless to say that in the event the petitioner files her representation, the Director, Primary Education, Department of Education, Government of Bihar, Patna (Respondent No. 3) shall dispose of the same, in accordance with law, after hearing the parties, by a reasoned and speaking order, as expeditiously as possible...."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए पुर्ननियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अभ्यावेदन को निष्पादित करने हेतु वादिनी को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–24.02.2026 तथा दिनांक–26.02.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। वादिनी अपने अधिवक्ता के माधम से तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल VC के माध्यम से उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा।

4. वादिनी सुषमा कुमारी का कथन निम्नवत् है:–

(i) इनकी औपबंधिक नियुक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक–330–26 (नि०) दिनांक–14.02.2012 द्वारा 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय हरिराहा, बालक, प्रखण्ड– राघोपुर में की गई थी।

(ii) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–4854/2012, 7253/2012 एवं 7205/2012 में क्रमशः दिनांक–19.03.2012, 16.04.2012 एवं 12.04.2012 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक–11 दिनांक–07.01.2013 द्वारा निदेशित किया गया कि डॉ भीमराव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय की मान्यता सक्षम प्राधिकार से प्राप्त नहीं होने के कारण इस संस्थान से निर्गत शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति या नियोजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(iii) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उक्त आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक–1071 (नि०) दिनांक–21.01.2013 द्वारा डॉ भीमराव अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से निर्गत शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सशर्त नियुक्त सुषमा कुमारी, सहायक शिक्षिका, मध्य विद्यालय हरिराहा बालक, प्रखण्ड राघोपुर की नियुक्ति रद्द कर दिया गया।

5. वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0(सी0) सं0–26824/2012 में दिनांक 18.07.2013 को न्यायादेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...We make it clear that none of the persons appointed out of the 34,540 vacancies should be disturbed in any way..."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–07/मु0–01–60/2023–01 दिनांक–01.01.2024 निर्गत करते हुए 34540 कोटि के अन्तर्गत वैसे शिक्षकों को सशर्त पुनः नियुक्त करने का निदेश दिया गया था, जिन्हें किसी भी कारण से नियुक्ति के पश्चात् सेवा मुक्त कर दिया गया था।

6. उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वादिनी का मामला एस0एल0पी0(सी0) सं0–26824/2012 में दिनांक 18.07.2013 को पारित न्यायादेश तथा उक्त के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक–07/मु01–60/2023–01 दिनांक–01.01.2024 से पूर्ण रूप से आच्छादित होता है।

अतः वादिनी के पुनर्नियुक्ति के दावे को स्वीकृत करते हुए निदेशित किया जाता है कि वादिनी एक सप्ताह के अंदर सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय हरिराहा, बालक, प्रखण्ड– राघोपुर के पद पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगी। योगदान के उपरांत इनको सेवा में निरंतरता का लाभ प्रदान करते हुए दिनांक–21.01.2013 से पुनर्योगदान की तिथि तक का वैचारिक लाभ देय होगा।

उक्त अभिमत के साथ मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–349/2025....1175.... पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपिः– Sushma Kumari @ Sushma Devi wife of Shiv Ji Paswan, daughter of Ram Ashish Das, resident of Mohalla - Puranderpur, P.O. and P.S. - Jakkanpur,District- Patna को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक–07/मु0–01–349/2025....1175.... पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–349/2025....1175.... पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।